

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 80 / 2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

:-बनाम:-



—प्रार्थी

अप्रार्थी-1

उतमचन्द पुत्र पानेचन्द (विक्रेता)

मैसर्स:-वेलकम सेन्टर, वार्ड नं. 15, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

निवासी:-वार्ड नं. 05, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी-2

मैसर्स:-मोहित ऑयल एण्ड जनरल मिल्स, नोहर रोड़, ऐलनाबाद, हरियाणा
(निर्माता एवं वितरक)

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थित:-

1. श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री छगनलाल सिढाना एवं श्री कुणाल गौड़, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

—:निर्णय:-

दिनांक :-31.01.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 05.01.2023 को समय 01.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-वेलकम सेन्टर, वार्ड नं. 15, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर उतमचंद पुत्र पानेचंद (विक्रेता) निवासी-वार्ड नं. 05, मैन बाजार, टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी में Mustard Oil (Matka Brand) 01 लीटर वजनी प्लास्टिक सील्ड बोतल दुकान में करीब 20 नग तैयारशुदा रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 मूल सील्ड बोतल 01 लीटर वजनी Mustard Oil (Matka Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Mustard Oil (Matka Brand) के खरीद मूल का 560/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Mustard Oil (Matka Brand) 01 लीटर वजनी 04 मूल सील्ड प्लास्टिक बोतल पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड बोतल को मोटे खाकी कागज से लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके-2357 एवं अन्य विरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-2357 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं 0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 12 दिनांक 16.01.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र

39
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

क्रमांक/एफएसएसए/2023/1864-65 दिनांक 30.01.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Matka Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Mustard Oil (Matka Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 (2) की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी-1 द्वारा बहस की गई कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार नमूना मिसब्रान्डेड पाया गया है जिसमें मिसब्रान्डेड का आधार क्या है, रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि मिसब्रान्डेड का निर्धारण किस आधार पर व किन मापदण्डों पर किया गया है। नमूना लेने की प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा और मानक नियम-2011 के नियम 2.4.1 में दिया गया है, जिसका टाईटल है "नमूना लेने के लिये प्रक्रिया और विश्लेषण के लिये भेजने का तरीका"। इस नियम में दी गई प्रक्रिया का खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया। जिसका लाभ अप्रार्थी को दिया जाना विधिसम्मत है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में Method of the test used कहीं भी नहीं बताया गया है। इन एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स की जांच करने से यह कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होता कि जांच के लिये क्या नमूना लिया गया, कितनी मात्रा में लिया गया व कितनी मात्रा में क्या-क्या तत्व पाये जाने चाहिये, उनका प्रतिशत कितनी मात्रा पर किताना प्रतिशत होना आवश्यक है। यह इस रिपोर्ट पर कहीं भी दर्शित नहीं हो रहा है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त परिवादपत्र को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी-2 द्वारा कथन किया कि उक्त पदार्थ को प्रयोगशाला द्वारा केवल मात्र मिसब्रान्डेड माना है। नमूने में मुताबिक जांच रिपोर्ट ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अभिभाषक अप्रार्थी-2 द्वारा कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Mustard Oil (Matka Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Mustard Oil (Matka Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी-1 पर 5,000/- (अखरे रुपये पांच हजार मात्र), अप्रार्थी-2 पर 15,000/- (अखरे रुपये पंद्रह हजार मात्र) एवं इस प्रकार प्रकरण में कुल 20,000/- (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़